



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24072020-220677
CG-DL-E-24072020-220677

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2144]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2020/श्रावण 2, 1942

No. 2144]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2020/SRAVANA 2, 1942

iVkf;e vkj çkÑfrd xI e=ky;
'kf)&i=

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2020

dk- vk- 2429vk-—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (क) के अनुसरण में प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 338, दिनांक 08.02.2017 में भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना के का. आ. संख्या 373 (अ) दिनांक 03.02.2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, निम्नलिखित संख्याओं और शब्दों के स्थान पर

प्राधिकारी का नाम और पता
(1)

अधिकारिता का क्षेत्र
(2)

श्री चि. एच. वी. आर. शर्मा, तहसीलदार (सेवानिवृत्त)
मल्लावरम-भोपाल-भीलवाडा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना
जी.एस.पी.एल. इंडिया ट्रांसको लिमिटेड (जी.आई.टी.ई.एल.),
24-7-264/1, तीसरी मंजिल, रामाकिशना कॉलोनी,
फॉरेस्ट ऑफिस के समीप, हानमकोंडा,
वारंगल - 500604

तेलंगाना राज्य के लिए

निम्नलिखित संख्याओं और शब्दों को रखे जाएँ,

प्राधिकारी का नाम और पता (1)	अधिकारिता का क्षेत्र (2)
श्री चि. एच. वी. आर. शर्मा, तहसीलदार (सेवानिवृत्त) सक्षम प्राधिकारी मल्लावरम-भोपाल-भीलवाडा-विजयपुर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना जी.एस.पी.एल. इंडिया ट्रांसको लिमिटेड (जी.आई.टी.ई.एल.), आइपीएस – 03, हाऊस नं. 2-31/1, गुमनूर ग्राम पंचायत, गाँव-दंतलपल्ली, मंडल-मंथनी, जिला-पेड्डापल्ली, तेलंगाना- 505184	तेलंगाना राज्य के लिए

यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल-14014 / 44 / 2016-जीपी-II]
राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
CORRIGENDUM

New Delhi, the 22nd July, 2020

S.O. 2429(E).—In exercise of the powers conferred by clause(a) of section 2 of the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. number 373(E) dated 03.02.2017 published in part II, section 3, sub-section (ii) in the Extra ordinary Gazette of India No. 338 dated. 08.02.2017.

In the said notification, for the following numbers and words.

Name and address of the Authority (1)	Area of Jurisdiction (2)
Shri Ch. H. V. R. Sarma, Tehsildar (Retired) GSPL India Transco Limited (GITL), 24-7-264/1, 3 rd Floor, Ramakrishna Colony, Near Forest Office, Hanamkonda, Warangal, Telangana-500604	For the State of Telangana

the following numbers and words shall be substituted.

Name and address of the Authority (1)	Area of Jurisdiction (2)
Shri Ch. H. V. R. Sarma, Tehsildar (Retired) Competent Authority, Mallavaram-Bhopal-Bhilwara-Vijaipur Natural Gas Pipeline Project, GSPL India Transco Limited (GITL), IPS – 03, House No. 2-31/1, Gumnoor Gram Panchayat, Village – Danthelapally, Mandal – Manthani, District – Peddapalli, Telangana – 505184	For the State of Telangana

This notification shall be applicable from the date of issue.

[F. No. L-14014/44/2016-GP-II]
RAJ KISHORE, Under. Secy.